रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 2017/आश्विन 17, 1939
No. 824] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2017/ASVINA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1227(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 10(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 कहा गया है), द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन घोषित किया है और उक्त जोन में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और परमाणु खनिज, खनिजों की वे सूची है, जिसे खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन घोषित किया गया है, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं ;

और परमाणु खनिज अणु ऊर्जा विभाग द्वारा सामरिक और अन्य आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित हैं और उनका प्रसंस्करण विद्युत उत्पादन सहित सामरिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है ;

और केंद्रीय सरकार की पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि उक्त तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करना लोक हित में है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. पैरा 3 के खंड (x) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

   "(क) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का खनन, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं" ;

2. पैरा 4 के खंड (ii) के उपखंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

   "(छ) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का खनन, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं";

3. पैरा 8 में,—

(1) उप पैरा (I), सीआरजेड-1 में, मद (ii) में, उपमद (छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ज) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं - अंतर ज्वारीय जोन में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, यथा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार मैनुअल खनन :

परंतु मैनुअल खनन सक्रियाओं को केवल टोकरियों और हाथ फावड़ों का उपयोग करते हुए अंतर-ज्वारीय जोन में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अयस्क या खनिजों के संग्रहण के लिए तैनात व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, मैनुअल खनन से भेदन और विस्फोट या भारी मृदा संचलन मशीनरी को अंतर-ज्वारीय जोन में तैनात किए बिना की जाने वाली खनन सक्रियाएं अभिप्रेत हैं ;

(2) उप पैरा (III), सीआरजेड-3 में,—

(i) मद (क) में उपमद (iii) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं, खनन" ;

(ii) मद (ख) में उपमद (x) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(xi) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का, जो उस रूप में या अन्य खनिजों के साथ मिलकर उदभूत हो रहे हैं, खनन"।

[फा. सं. 19-27/2015-आई.ए.III]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया था :—

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 04 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015;
9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016;
10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2016;
11. का.आ. 621(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 ;
12. का.आ. 1393(अ), तारीख 3 मई, 2017 ; और
13. का.आ. 2444(अ), तारीख 31 जुलाई, 2017।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

G.S.R. 1227(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, atomic minerals are the list of minerals declared under Part-B of First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, occurring as such or in association with other minerals;

And whereas, atomic minerals are required for strategic and other requirements by the Department of Atomic Energy and are processed for strategic applications including power generation;

And whereas, the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Coastal Regulation Zone Notification, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:—

1. in paragraph 3, in clause (x), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

   "(a) mining of Atomic Minerals notified under Part-B of the First Schedule of the Mining and Minerals (Development) Act, 1957 (67 of 1957) occurring as such or in association with one or other minerals";

2. in paragraph 4, in clause (ii), for sub-clause (g), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

   "(g) mining of Atomic Minerals notified under Part-B of the First Schedule of the Mining and Minerals (Development) Act, 1957 occurring as such or in association with one or other minerals";

3. in paragraph 8,—

   (1) in sub-paragraph (I). CRZ-I, in item (ii), after sub-item (g), the following shall be inserted, namely:—

   (h) Manual mining of atomic mineral(s) notified under Part-B of First Schedule of Mining and Minerals (Development) Act, 1957 occurring as such or in association with one or other minerals - in the inter-tidal zone by such agencies as authorised by Department of Atomic Energy, as per mining plan approved by the Department of Atomic Energy:

   Provided that the manual mining operations are carried out only by deploying persons using baskets and hand spades for collection of ore or mineral within the intertidal zone and as per approved mining plan.

   Explanation.—For the purpose of this notification, manual mining shall mean the mining operations undertaken without deploying or using drilling and blasting or Heavy Earth Moving machinery in the intertidal zone.

(2) in sub-paragraph (III).CRZ-III,—

(i) in item A, in sub-item (iii), for the clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Mining of Atomic Minerals notified under Part-B of the First Schedule of the Mining and Minerals (Development) Act, 1957 occurring as such or in association with one or other minerals";

(ii) in item (B), after sub-item (x), the following sub-item shall be inserted;

"(xi) Mining of Atomic Minerals notified under Part-B of the First Schedule of Mining and Minerals (Development) Act, 1957 occurring as such or in association with one or other minerals".

[F. No. 19-27/2015-IA-III]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 2557(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599(E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552(E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212(E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23rd December, 2016;
11. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017;
12. S.O. 1393(E), dated 3rd May, 2017; and
13. S.O. 2444(E), dated 31st July, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.09 22:19:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.